संख्या-02/2023/218/63-व0उ0-2023-65(एच)/2021

प्रेषक,

पी0के0 पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0,कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊ: दिनांकः 02 फरवरी,2023

विषय:- उ0प्र0 हैण्डलूम,पावरलूम,सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पालिसी-2017 के अन्तर्गत रु0 36,46,58,000.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1053/ह0क0-नियोजन-टेक्स0पा0-17/2022-23 दिनांक 19.01.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त प्रस्ताव के अनुसार निम्नलिखित 03 वस्त्र इकाईयों के पक्ष में निम्न विवरणानुसार उ0प्र0 हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2017 की क्रियान्वयन योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष-2022-23 हेतु प्राविधानित बजट धनराशि रु0 75.00 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रु0 85,57,580.000 पी0एम0ए0 यूपिको के पक्ष में तथा धनराशि रु0 35,61,00,420.00 वस्त्र इकाईयों के पक्ष में, इस प्रकार कुल धनराशि रु0 36,46,58,000.00 (रू0 छत्तीस करोड़ छियालिस लाख अट्ठावन हजार रुपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं:-

क्र0	इकाई का नाम व पता	पालिसी के अनुमन्य वित्तीय सुविधा	इकाई के पक्ष में कुल अनुमोदित धनराशि (रु0 में)	अनुमोदित धनराशि का 3 प्रतिषत पी0एम0ए0 यूपिको को सेवा-शुल्क के भुगतान की धनराशि (रु0 में)	कटौती के पष्चात इकाई के पक्ष में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रु0 में)
	कानपुर प्लास्टी पैक प्रा0 लि0, जैनपुर-इण्डस्ट्रियल एरिया, कानपुर देहात।	पूँजीगत उपादान	5,64,35,000.00	16,93,050.00	5,47,41,950.00
		ब्याज उपादान	1,33,92,000.00	4,01,760.00	1,29,90,240.00
		योग-	6,98,27,000.00	20,94,810.00	6,77,32,190.00
	मे0 जयनरायन फैबटेक प्रा0 लि,0 मेरठ, इकला, मोहिद्दीनपुर, मेरठ	पूँजीगत उपादान	5,66,15,000.00	16,98,450.00	5,49,16,550.00
		योग-	5,66,15,000.00	16,98,450.00	5,49,16,550.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		कुल योग-	12,64,42,000.00	37,93,260.00	12,26,48,740.00
क्र0	इकाई का नाम व पता	पालिसी के अनुमन्य वित्तीय सुविधा	इकाई के पक्ष में कुल अनुमोदित धनराशि (रु0 में)	अनुमोदित धनराशि का 2 प्रतिशत पी0एम0ए0 यूपिको को सेवा-शुल्क के भुगतान की धनराशि(रु0 में)	कटौती के पश्चात इकाई के पक्ष में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रु0 में)
	मे0 नाईन प्रा0 लि0 403 गैलेण्ट लैण्ड मार्ग विजय चैक, गोरखपुर।	पूँजीगत उपादान	19,25,96,000.00	38,51,920.00	18,87,44,080.00
		ब्याज उपादान	2,90,60,000.00	5,81,200.00	2,84,78,800.00
		सरकारी एजेन्सियों द्वारा भूमि आवंटन में सब्सिडी	1,65,60,000.00	3,31,200.00	1,62,28,800.00
		योग	23,82,16,000.00	47,64,320.00	23,34,51,680.00
		महायोग-	36,46,58,000.00	8,55,75,800.00	35,61,00,420.00

2- उ0प्र0 हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पालिसी-2017 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

3- यह धनराशि अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न शासकीय स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 04.01.2023 में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्गत की जा रही है।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त से इकाई का खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड, अनुबन्ध पत्र मंगाकर प्रतिपूर्ति की धनराशि इकाई के खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से भेजी जायेगी। धनराशि का भुगतान चेक/नकद नहीं किया जायेगा।

5- इकाई द्वारा अपेक्षित ऋण पर मूलधन एवं ब्याज की किस्तों का भुगतान सम्बन्धित वित्तीय संस्था को उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर किया जाये।

6- स्वीकृत धनराशि की मदवार सूचना निर्धारित प्रारूप बी0एम-13 पर शासन एवं वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायें।

7- उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र कानपुर का होगा।

8- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि रु0 36,46,58,000.00 (रू0 छत्तीस करोड़ छियालिस लाख अट्ठावन हजार रुपये मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-800-अन्य व्यय-02-उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम एवं वस्त्र नीति-2017-20 सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

9- उक्त धनराशि का व्यय करने में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022बी-1-454/ दस-2022-231/2022 दिनांक 07-06-2022 में उल्लिखित शर्तो का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भवदीय,

(पी0 के0 पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-02/2023/218(1)/63-व0उ0-2023 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- अनु सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनुभाग-4
4- अनु सचिव, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/अनुभाग-2
5- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
6- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(पी0 के0 पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।